



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 09, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 01, 2021
Asvina 09, Friday, Saka 1943- October 01, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (गुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 01, 2021

जी.एस.आर.113 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित एवं इस विभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा जारी किये गये विनियमों में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त विनियमों में, विद्यमान विनियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नये विनियम 16 और 17 जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

“16. कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेगा।

17. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा, न ही चलाने की अनुमति देगा।”

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र कुमार,

संयुक्त शासन सचिव।

1785

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।